

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सूरि.स 7 दिनांक 03.03.2016

2.अधिनियम पी.सी एक्ट धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एवं धाराएं - - - - -

(क) घटना का दिन गुरुवार दिनांक से दिनांक 03.03.2016

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 03.03.2016 समय 03.35 पी.एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 6 समय 03.40 पी.एम

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैषल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थान का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एवं दूरी) पूर्व - दक्षिण लगभग 35 कि०मी०

(ख) पता :

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) नूंह (जिला) नूंह मेवात।

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :-

(क) नाम : असगर (ख) (पिता/पति का नाम) श्री महोम्मद याकूब

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं०

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) राशन डिपो होल्डर (पता) गांव अकेडा थाना नूंह जिला मेवात

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

इरशाद निरीक्षक खादय एवं आपूर्ति विभाग, नूंह जिला मेवात।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी रमेश चन्द्र निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, गुडगांव बदस्त ई०ए०एस०आई० विजय कुमार 1268 के बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई। जिसका विषय इस प्रकार से है " सेवा में आई०जी० साहब राज्य चौकसी ब्यूरो, गुडगांव श्रीमान जी, निवेदन यह है कि मैं असगा हुसैन पुत्र श्री महोम्मद याकूब निवासी आकेडा तहसील नूंह जिला मेवात का रहने वाला हूँ। मैं डिपो उहोल्डर का कार्य करता हूँ। मेरे पास 2007 से डिपो है। जिसका लाईसैंस न० एमडब्लू०टी०/पी०डी०एस०/391 है।

Attested



मैं अपने गांव का ही डिपो धारक हूँ। हमारा खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक ईरशाद है जो मुझसे 500 रुपये मिट्टी तेल ड्रम व गेहू का 40/-रु क्विन्टल के हिसाब से 4500/-रु प्रति महिना रिश्वत का मांगता है। मैं उसे नहीं देना चाहता। अगर मैं ना दू तो सप्लाई बन्द करने की धमकी देता है। मैं बहुत परेशान हूँ कृप्या करके निरीक्षक इरशाद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। मेरा ईरशाद निरीक्षक से कोई लेना-देना व आपसी रंजिश नहीं है। लेकिन निरीक्षक ईरशाद मेरे को परेशान कर रहा है। कि या तो मेरे को जो राशी मांगी है वह दे दे नहीं देगा तो तेरा डिपो का लाईसैंस रद्द करा दूंगा आपके ही गांव के डिपो लेने वाले बहुत व्यक्ति है। उनको डिपो लाईसैंस दे दूंगा मैं परेशान होकर परसो इरशाद निरीक्षक से मिला था। मैंने उसको कहा कि मैं सारा राशन बाटता हूँ। फिर मैं आपको रुपये कहां से दूँ तो उसने कहा कि मैं कब कहता हूँ कि तू सारा राशन बांट मेरी तरफ से तुम्हारे राशन को बाजार में बेच कर मुझे पैसे दे। आज उसने मेरे को 4500/-रु लेकर आने को कहा है। मैं रिश्वत देना नहीं चाहता इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृप्या करे एस0डी0 हिन्दी असगर हुसैन आकेडा नूंह मेवात मो0न0 8814861483 कार्यवाही पुलिस :- आज मन निरीक्षक कइस समय हाजिर कार्यालय हूँ असगर मुदई उक्त ने रैड करवाने हेतु लिखित दरखास्त शिकायत डी0आई0जी0 साहब के पेश की। डी0आई0जी0/एस0वी0बी0/जी0जी0एन0 ने उक्त शिकायत मेरे नाम मार्क की। जो दरखास्त से मजबून सरे दस्त जुर्म 7 पी0सी0 एक्ट का सरजद होना पाया गया। जो तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त ई0ए0एस0आई0 विजय कुमार 1268/गुडगांव अरसाल थाना है। बाद हिदायत दी कि मुदमा दर्ज करवाकर स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब वा सम्बन्धित अफसरान बाला की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे। मन निरीक्षक ने एक रैडिंग पार्टी तैयार की जिसमें ए0एस0आई0 सतीश कुमार, एस0आई0 सुभाष चन्द्र, एस0आई0 सत्यप्रकाश, एच0सी0 वेदपाल न0 1204/गुडगांव को शामिल किया। मन निरीक्षक मय रैडिंग पार्टी तफतीशी बैग सहित बा सवारी गाडी सरकारी टवेरा न0 एच0आर0 68 8504 चालक एच0सी0 विजय पाल न0 1050/गुडगांव मय मुदई बराये करवाने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त व कार्यवाही रवाना उपायुक्त कार्यालय मेवात नूंह का होता हूँ। एस0डी0 अग्रेजी निरीक्षक रमेश चन्द एस0वी0बी0 गुडगांव एट दिनांक 03.03.2016 एट 03.30 पी9एम0 अज थाना :- आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बाजुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में अफसरानबाला वा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब नूंह नियमानुसार भेजी जावेगी। एक पर्त एफ0आई0आर0 बतौर स्पेशल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब नूंह बदस्त इ9ए9एस9आई0 विजय कुमार 1268/गुडगांव भेजी जा रही है। असल मिसल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुंचाने हेतु इसी आरिन्दा के हवाले की गई।

Attest



थाना प्रभारी का नाम

नाम : अमित कुमार

पद : निरीक्षक

दिनांक 03.03.2016 समय 05.15 पी.एम